वी. लक्ष्मीनारासम्मा

बनाम

ए. यादियाह (मृत) वगैरह

(सिविल अपील सं.1849/2002)

12 फरवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे. जे.]

आंध्र प्रदेश भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम, 1982: क्षेत्राधिकार प्रश्न यह है कि क्या आंध्र प्रदेश भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम] 1982 के तहत स्वामित्व एवं कब्जे से संबंधित विवाद विशेष न्यायाधिकरण या विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आयेगा। इस संबंध में न्यायालय की दो डिवीजन बैंच के फैसलों में कथित विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया।

इन अपीलों में सुनवाई के समय उभय पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता ने मत व्यक्त किया कि आंध्र प्रदेश भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम 1982 के संबंध में विवाद से संबंधित निर्णय] जिनमें से प्रत्येक दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिये गये थे] ने विपरीत विचार व्यक्त किये इसलिए मामला एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए।

मामला बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया।

अभिनिर्धारित

विवाद आंध्र प्रदेश भूमि हथियाने (निषेध) अधिनियम] 1982 (संक्षेप में अधिनियम) से सबंधित है। इसके बारे में दो पीठों द्वारा व्यक्त विचार विरोधाभासी हैं। कोंडा लक्ष्मण बापूजी में] यह देखा गया था कि स्वामित्व के सभी प्रश्न वैध हैं।

आंध्र प्रदेश भूमि हड़पने (निषेध) के तहत स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा कब्जा तय किया जा सकता है। सिविल न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। एन- श्रीनिवास राव में यह अभिनिर्धारित किया गया कि वास्तविक बेदखल एवं प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के अधिग्रहण जैसे प्रश्नों का निर्णय केवल सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। पैरा [3-4] [732-एफ-जी; 734-जी]

कोंडा लक्ष्मण बापूजी बनाम सरकारी ए-पी- और अन्य 2002 (3) एससीसी 258; एन- श्रीनिवास राव बनाम विशेष न्यायालय ए-पी- भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम और अन्य 2006 (4) एससीसी 214 संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार- सिविल अपील सं- 1849/2002

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद की लिखित याचिका संख्या 15844/1992 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 18.11.2000 के विरुद्ध।

साथ

2002 की सिविल अपील सं. 1850 में

अपीलार्थी के लिए - एम- एन- राव, वाई- राजा गोपाल राव, वाई- रमेश और वाई- विस्मई, मनोज सक्सेना, रजनीश के. सिंह

उत्तरदाताओं के लिए राहुल शुक्ला, टी-वी- जा ॅर्ज और अन्नम डी- एन- राव।

डा ॅ. अरिजीत पासायत, जे.

1. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. जब मामले की सुनवाई की जा रही थी, तो पक्षों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के दो निर्णय, प्रत्येक दो विद्वान न्यायाधीशों ने विरोधाभासी विचार व्यक्त किए और इसलिए यह मामला एक बड़ी पीठ को भेजे जाने का हकदार है।

3- विवाद आंध्र प्रदेश भूमि हथियाने (निषेध) अधिनियम, 1982 (संक्षेप में अधिनियम) से संबंधित है। कोंडा लक्ष्मण बापूजी में, यह देखा गया था कि स्वामित्व के सभी प्रश्न वैध हैं। आंध्र प्रदेश भूमि हड़पने (निषेध) के तहत स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा कब्जा तय किया जा सकता है। सिविल न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि स्वामित्व, वैध प्रश्नों का निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और केवल भूमि हड़पने का आरोप

पर्याप्त होगा। पैरा 17 में अन्य बातों के साथ-साथ, यह इस प्रकार देखा गयाः

> "17- यह ध्यान रखना उचित है कि भूमि हड़पने के कृत्य का आरोप मात्र विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र आह्वान करने के लिए पर्याप्त है। अधिनियम की धारा 7 (1) और धारा 8 (1) दोनों में वाक्यांश ''हड़पने का कार्य का प्रयोग किया गया है] न कि भूमि हड़पने के कार्य का। हमें प्रतीत होता है कि यह विधायिका द्वारा अधिनियम के तहत अदालतों में एक बार और सामान्य सिविल अदालत में दोबारा मुकदमे की पुनरावृत्ति की कठिनाई को दूर करने के लिए जानबूझकर किया गया है।
>
> अधिनियम का उद्देश्य त्वरित जांच और सुनवाई के लिए भूमि कब्जा करने के आरोप वाले मामलों की पहचान करना है। अधिनियम के तहत अदालतें सिविल अदालतें हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन करते हैं और वही राहत देने में सक्षम हैं जो साधारण दीवानी न्यायालयों से प्राप्त की जा सकती है।
>
> मामले का संज्ञान लेने के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय को उस भूमि के स्थान या सीमा या मूल्य पर विचार करना आवश्यक है जिसे कथित तौर पर हड़प लिया गया है या इसमें शामिल विवाद पर्याप्त प्रकृति या न्याय के हित में आवश्यक है

और एक देना है। याचिकाकर्ता की सुनवाई का अवसर देना है। [उपधारा (1-ए)]

यह स्पष्ट है कि उपधारा (2) एक अविवादित खंड के साथ खुलती है और यह आदेश देती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता] दंड प्रक्रिया संहिता या आंध्र प्रदेश दीवानी न्यायालय अधिनियम 1972 में कोई भी बात के बावजूद, किसी भी मामले के संबंध में भूमि हड़पने का कथित कार्य या शीर्षक और स्वामित्व के प्रश्न का निर्धारण या अधिनियम के तहत कथित रूप से हड़पी गई किसी भी भूमि का वैध कब्जा केवल उस क्षेत्र के लिए गठित विशेष न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा जिसमें हड़पी गई गई भूमि स्थित है और विशेष न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

उपधारा (2&बी) विशेष रूप से प्रदान करती है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता] 1973 में किसी भी बात के बावजूद, विशेष न्यायालय के लिए इस अधिनियम के तहत दंडनीय सभी अपराधों की सुनवाई करना वैध होगा। यह विशेष न्यायालय पर छोड़ दिया गया है कि वह उस क्रम को निर्धारित करे जिसमें भूमि हड़पने वाले के खिलाफ दीवानी और आपराधिक दायित्व शुरू किया जाए।

उपधारा (6) में यह प्रावधान है कि भूमि हड़पने के किसी भी कथित कार्य के संबंध में विशेष न्यायालय का प्रत्येक निष्कर्ष भूमि हड़पने के तथ्य और उन व्यक्तियाेंं का निर्णायक सबूत होगा जिन्होंने ऐसी भूमि हड़पने का काम किया और विशेष न्यायालय का प्रत्येक निर्णय शीर्षक और स्वामित्व के निर्धारण या वैध कब्जे के संबंध में, कथित रूप से हड़पी गई कोई भी भूमि में रूचि रखने वाले सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगी। इसमें तीन प्रावधान है लेकिन वे वर्तमान चर्चा के लिए प्रासंगिक नहीं है।

उपधारा (8) विशेष न्यायालय के गठन से ठीक पहले किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी मामले का स्वतः हस्तांतरण करती है, जैसा कि विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होता यदि कार्यवाही का कारण ऐसी कार्रवाई जिसके आधार पर ऐसा वाद या कार्यवाही विशेष न्यायालय के गठन के बाद उत्पन्न हुई हो।

धारा 8 की उपधारा (2) के प्रावधान जो एक अविवादित खंड से शुरू होता है जो विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 15 में निर्देश देती है कि अधिनियम के प्रावधान किसी अन्य कानून में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे।

किसी न्यायालय या किसी अन्य न्यायाधिकरण या प्राधिकारी के फिलहाल लागू या प्रथा, प्रथा या समझौते या डिक्री या आदेश के लिए। इन प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि सीपीसी की धारा 9 और सिविल कोर्ट अधिनियम के तहत सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया है और अधिनियम जो विशेष कानून है, प्रभावी रहेगा और इस तरह विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। उसके अंतर्गत निपटाए गए मामलों के संबंध में।

(देखिएः सांवरमल केजरीवाल बनाम विश्व को&आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड और अन्य 1990 2 एस-सी-सी- 288) "

4- "एन- श्रीनिवास राव बनाम विशेष आंध्र प्रदेश भूमि हथियाने (निषेध) अधिनियम और अन्य के तहत विशेष न्यायालय 2006 (4) एस-सी-सी- 214, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वास्तविक बेदखली को स्थापित की जानी चाहिए और प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के अधिग्रहण जैसे प्रश्नों का निर्णय केवल सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। पैरा 46 और 47 में, अन्य बातों के साथ-साथ, इसे इस प्रकार माना गया थाः

46- मुख्य मुद्दा जो इन अपीलों के सामने आता है, वह यह है कि क्या उप्पारी रमैया के उत्तराधिकारियों द्वारा उठाए गए विवाद से उत्पन्न होने वाली कार्रवाइयों को आंध्र प्रदेश भूमि हड़पने (निषेध) 1982 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए कहा जा सकता है।

मीर रियासत अली और चंद्र रामिलंगैया तथा पी- नीलकंठेश्वरम्मा का विवादित संपत्तियों पर कब्जा रहा है और किसी भी समय उनके कब्जे में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उप्पारी रमैया के उत्तराधिकारियों द्वारा उक्त हस्तांतरितियों को बेदखल करने के प्रयासों को वास्तव में भूमि पर कब्जा प्राप्त किए बिना उस पर कब्जा करने का प्रयास कहा जा सकता है, जो आंध्र प्रदेश भूमि के अर्थ के भीतर भूमि हड़पने का कार्य नहीं होगा।

कब्जा (निषेध) अधिनियम, 1982- हम भी श्री वेणुगोपाल और श्री नरीमन दोनों से सहमत है कि भूमि हड़पने का कृत्य बनाने के लिये, बेदखल करने के प्रयास के बाद वास्तविक बेदख्ल होनी चाहिए, जो तब भूमि कब्जा माना जाएगा ताकि 1982 के अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके।

47- इन अपीलों को अकेले उक्त आधार पर विफल होना चाहिए, लेकिन यह भी तर्क दिया गया है और हमारे विचार में, बिल्कुल सही है कि 8-2-1961 पर मीर रियासत अली के पक्ष में उप्पारी रमैया द्वारा निष्पादित प्रारंभिक दस्तावेज अमान्य था चूंकि 1950 के किरायेदारी अधिनियम की

धारा 47 और 49 के तहत स्पष्ट निषेध को ध्यान में रखते हुए, उप्पारी रमैया के पास उस स्तर पर भूमि में कोई बिक्री योग्य हित नहीं था।

हम श्री परासरन से सहमत होने में असमर्थ है कि यह केवल एक शून्यकरणीय लेनदेन था और उक्त अधिनियम की धारा 50-बी के तहत दोष को ठीक किए बिना टाला जा सकता है। यह और भी अधिक था क्योंकि स्थानांतरण एक संरक्षित किरायेदार द्वारा एक कृषक के रूप में गैर-कृषक को किया जा रहा था जिसे अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

उप्पारी रमैया को पता था कि भूमि कृषि प्रकृति की थी, यह विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष दायर आवेदन से स्पष्ट है जिसमें उक्त भूमि को "शुष्क कृषि भूमि" के रूप में वर्णित किया गया था। इस तथ्य को छोड़कर कि उक्त भूमि अब शहरी क्षेत्र में शामिल हो गयी है, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि समय बीतने के साथ इसका उपयोगकर्ता बदल गया था। इसलिए, श्री परासरन द्वारा उद्धृत सरिफबीब मामले 5 में निर्णय उनके पक्षकारों के मामले में मदद नहीं करता है। 1950 के किरायेदारी अधिनियम की योजना अधिनियम की धारा 30 में परिलक्षित होती है जो किरायेदार द्वारा किसी भी भूमि के उप विभाजन या उप&किराये पर लेने या उसमें उसके द्वारा रखे गये किसी भी हित के असाइनमेंट पर रोक लगाती है।

अधिनियम की प्रस्तावना में प्रावधान है कि अन्य बातों के साथ&साथ कृषि भूमि के जमींदारों और किरायेदारों के संबंधों को

विनियमित करने और ऐसी भूमि के हस्तांतरण को विनियमित करने वाले कानून में संशोधन करना और भूमिधारकों को कृषि जोत के अत्यधिक उपविभाजन को रोकने में सक्षम बनाना समीचीन था।

हमारे विचार में, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में एकमात्र मुद्दा जो निर्णय के लिए आया वह यह है कि क्या कथित तौर पर भूमि हड़पने का कोई कार्य हुआ है और दोषी पक्ष कौन है। विशेष न्यायालय के पास अधिनियम के तहत कार्यवाही में प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के अधिग्रहण से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह सिविल अदालतों के क्षेत्र में आएगा। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय लेने में 1982 के अधिनियम के तहत उन्हें निहित क्षेत्राधिकार से परे देखा, भले ही प्रावधान धारा 47 का अधिनियम के अनुसार तहसीलदार की मंजूरी के बिना हस्तांतरण पर रोक थी] भूमि के कब्जेदारों ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से उस पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर लिया था।

5. जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने सही ढंग से प्रस्तुत किया है] न्यायालय की दो पीठों द्वारा व्यक्त किये गये विचार विरोधाभास है।

6. स्थिति से ऊपर हम मामले को एक बड़ी बेंच को सौंपते हैं। आवश्यक आदेशों के लिए रिका◌ॅर्ड भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जा सकते हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हिमानी कच्छवाहा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।